झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक : 02/स्था॰(नियुक्ति)–12–01/2022 ..../ राँची, दिनांक :................................../

–: अधिसूचना :–

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पत्रांक–3940 दिनांक 10.11.2022 द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में निम्नलिखित 07 सहायक अभियंता (यॉंत्रिक) को निम्नलिखित शर्त्तो के साथ झारखण्ड अभियंत्रण सेवा, वर्ग–02 में जल संसाधन विभाग अंतर्गत सहायक अभियंता (यॉंत्रिक) के पद पर सातवें वेतनमान लेबल–09 (समकक्ष छठा वेतनमान PB-II, 9300–34800, ग्रेड पे॰–5400) में तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ जल संसाधन विभाग के अधीन विभिन्न पदों पर पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् पदभार ग्रहण करने की तिथि से परीक्ष्यमान रूप में औपबंधिक नियुक्त किया जाता है :–

क्र॰ सं॰	आयोग का क्रमांक	नाम	कोटि	गृह जिला	Rank in CAER 05/2019	अभ्युक्ति
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	10529071	गिरि भूषण शर्मा	अनारक्षित	बुलन्दशहर (उ॰प्र॰)	5	
2.	10536603	टुपलाल कुमार वर्मा	बी॰सी॰–II	गिरिडीह (झारखण्ड)	18	
3.	10536604	टुपलाल सिंह	आर्थिक रूप से पिछड़ा	गिरिडीह (झारखण्ड)	21	
4.	10535180	शरद सिंह	अनारक्षित	सुल्तानपुर (उ॰प्र॰)	23	
5.	10537386	विवेक कुमार मंडल	अनारक्षित	बोकारो (झारखण्ड)	40	
6.	10536955	विकास वर्मा	अनारक्षित	पाकुड़ (झारखण्ड)	46	
7.	10530410	मनीष कुमार	अनारक्षित	छत्तरपुर (म॰प्र॰)	53	

1. यह नियुक्ति बिल्कुल अस्थायी है एवं बिना पूर्व सूचना अथवा कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है, जिसके लिए उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। यह नियुक्ति आरक्षी/पुलिस अधीक्षक द्वारा वृत/चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में की जा रही है। अगर भविष्य में वृत/चरित्र सत्यापन में प्रतिकूल अभियुक्ति प्राप्त होता है, तो बिना कोई स्पष्टीकरण अथवा कारण बताओ नोटिस के नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी।
2. नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर नेपाल हाउस स्थित जल संसाधन विभागीय मुख्यालय में अनिवार्य रुप से योगदान देना है।
3. अभ्यर्थी की परीक्ष्यमान अवधि नियुक्ति की तिथि से दो वर्षो की होगी। संतोषप्रद सेवा एवं विहित विभागीय एवं व्यावसायिक परीक्षा की उत्तीर्णता के पश्चात् ही सेवा सम्पुष्टि की कार्रवाई की जायेगी।

4. योगदान समर्पित करते समय अन्यत्र नियोजित नहीं होने, किसी तरह का फौजदारी मुकदमा लंबित नहीं होने, दहेज नहीं लेने/देने के सम्बद्ध में शपथ–पत्र तथा कार्मिक विभाग के अधिसूचना संख्या–5437 दिनांक 09.09.2010 के आलोक में चल–अचल सम्पत्ति का ब्यौरा समर्पित करना अनिवार्य होगा।
5. पदग्रहण करते समय असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी को समर्पित करना होगा। असैनिक शल्य चिकित्सा–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र सत्यापन की प्रत्याशा में यह नियुक्ति की जा रही है। अनुकूल प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जा सकती है।
6. अभ्यर्थियों द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों की जाँच, संबंधित संस्थान/कार्यालय से किये जाने के क्रम में यदि किसी भी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो उनकी नियुक्ति नियमानुसार रद्द करते हुए उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।
7. पदस्थापित पद पर पदभार ग्रहण निमित्त किसी प्रकार का यात्रा–भत्ता अनुमान्य नहीं होगा।
8. आदेय वेतन एवं भत्ता सेवा संहिता के नियम–58, वित्तीय नियमावली के नियम–74 के तहत् पदस्थापन की अधिसूचना निर्गत होने के पश्चात् पदभार ग्रहण की तिथि से देय होगा।
9. संयुक्त सहायक अभियंता नियुक्ति परीक्षा (विज्ञापन सं०–05/2019) के विरूद्ध माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद सं॰–LPA No.-292/2022 दर्ज है। यह नियुक्ति उक्त वाद में पारित अन्तिम न्यायादेश के फलाफल से आच्छादित होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– राँची/दिनांक :–
प्रतिलिपिः–महालेखाकार, झारखण्ड राँची/अवर सचिव, वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, राँची/सभी कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– राँची/दिनांक :–
प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं झारखण्ड राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– राँची/दिनांक :–
प्रतिलिपिः–महामहिम राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सचिव, पथ/भवन/ग्रामीण कार्य विभाग, राँची/सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख I एंव II/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/सभी नवनियुक्त सहायक अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(संजय कुमार)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :–   राँची / दिनांक :–

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :– 6495   राँची / दिनांक :– 21/12/22

प्रतिलिपिः–वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/12/22

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

21/12/22